अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No- 16/ 2011-12

..12/2022.

अपीलकर्त्ता- सिंगेश्वर साह

बनाम

उत्तरवादी- मांगन साह

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वन अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपीलवाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0-01/2010-11 मांगन साह बनाम् सिंगेश्वर साह वगै0 से संबंधित मामला में दिनांक-19.10.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया जिसे दिनांक-12.09.2013 को हस्तांतरण के पद्चात् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष के बहस को सुना गया, अभिलेखबद्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता उन्ही बातो को दोहराया है जो निम्न न्यायालय मे कहा गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य/ सबुत पेश नही किया जिससे यह प्रमणित हो कि विद्वान भूमि सुधार उप सताहर्त्ता, गोड्डा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। वही विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-पत्तीचक फिरोजपुर, नं0-30 थाना-मेहरमा खाता नं0-06 की विश्यगत भूमि पर्चा में सभी खतियानी रैयतों के नाम से इजमाल दर्ज है। अंचल अधिकारी, मेहरमा के नामांतरण वाद में सभी खतियानी रैयतों के वारिसानों को न तो नोटिश किया गया और न ही पक्षकार बनाया। सिर्फ विपक्षी के शपथपत्र को आधार मानकर नामांतरण किया गया है जो नियमानुकुल नही है। आम सुचना तामिला प्रतिवेदन भी अंकित नही है। जिससे स्पष्ट हो सके कि तामिला प्रतिवेदन किस तिथि को और किसके द्वारा कराया गया। इसप्रकार निम्न न्यायालय में पारित आदेश युक्ति संगत है। अतः वर्त्तमान अपील स्वीकारर्य योग्य नही है इसे खारिज करने का अनुरोध करते है।

प्रक्रिया चलने के दौरान उत्तरवादी मांगन साह की मृत्यु दिनांक-02.05.2022 हो गयी है उनके स्थान पर पुत्र दयानन्द कुमार को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया। इस संदर्भ में उत्तरवादी की ओर से पक्षकार बनने हेतु एक आवेदन भी न्यायालय में समर्पित किया है जिसे स्वीकृत किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस को सुना तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस सुनने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपील नं0- 01/2010-11 मांगन साह बनाम् सिंगेश्वर साह वगै0 से संबंधित मामला में दिनांक-19.10.2011 को पारित आदेश न्यायसंगत है इसमें हस्तक्षेप की कोई आवष्यकता महसुस नही होता है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपील नं0- 01/2010-11 मांगन साह बनाम् सिंगेश्वर साह वगै0 से संबंधित मामला में दिनांक-19.10.2011 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए वर्त्तमान अपीलवाद खारिज किया जाता है असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.30 13:10:12 +05:30
Location: 192.168.1.3